



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227882
CG-DL-E-25062021-227882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2349]
No. 2349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2527(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) के अनुसरण में, (इसके पश्चात इसे उक्त अधिसूचना कहा गया है), केंद्रीय सरकार एतद्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश (इसके प्रश्चात प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश कहा गया है) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात:

(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. देव दत्त शर्मा, आईएफएस (सेवानिवृत्त) 104, कृष्णकुंज, प्लॉट-14, सेक्टर-7, द्वारका, फेज-I, नई दिल्ली-110075	अध्यक्ष;
2.	प्रो. टोमो रिवा रजिस्ट्रार राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख अरुणाचल प्रदेश	सदस्य;
3.	निदेशक (पर्यावरण) कार्यालय पीसीसीएफ और प्रधान सचिव (ई एंड एफ) अरुणाचल प्रदेश सरकार	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
3. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
4. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेगा।
5. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (इसमें इसके पश्चात एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः

(1)	(2)	(3)
1.	श्री श्रीशन राघवन आईएफएस (सेवानिवृत्त), कालीकट ईमेल: raghvan.s@nic.in	अध्यक्ष;
2.	डॉ. बी मोहन कुमार कुलपति, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टडीज़, नमसाई, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य;
3.	डॉ. जी. श्रीनिवासन एशिया और अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (आरआईएमईएस) पीओ बॉक्स नंबर 4, क्लोंग लुआंग, पथुमथानी - 12120 वैंकॉक, थाईलैंड	सदस्य;
4.	डॉ. रानी झा विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशक अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, नमसाई-792103	सदस्य;
5.	डॉ. ए. के. त्रिपाठी प्रधानाचार्य राजीव गांधी पॉलिटेक्निक, ईटानगर (एपी)	सदस्य;
6.	डॉ. ओम प्रकाश त्रिपाठी सह - आचार्य वानिकी विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनईआईआरएसटी), निर्जुली (अरुणाचल प्रदेश)	सदस्य ;
7.	उप निदेशक (पर्यावरण) कार्यालय पीसीसीएफ और प्रधान सचिव (ई एंड एफ) अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर	सदस्य- सचिव ।

6. एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
7. एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।
9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :
- (क) प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।
- (ख) प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगे, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाना है; और
- (ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया है, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।
10. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा।
11. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और एसईएसी, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

[फा.सं. जे-11013-16/2008.आईए-II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021.

S.O. 2527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Arunachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Arunachal Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Deo Dutt Sharma IFS(Retired) 104, Krishan Kunaj, Plot-14, Sector-7, Dwarka, Phase-I, New Delhi - 110075	Chairman;
2.	Prof. Tomo Riba Registrar Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh	Member;

3.	Director (Environment) O/o PCCF & Principal Secretary (E&F) Government of Arunachal Pradesh	Member-Secretary.
----	---	-------------------

2. The Chairman and Members of the Authority, Arunachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Arunachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Arunachal Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Arunachal Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Arunachal Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Arunachal Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as the SEAC, Arunachal Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Sreeshan Raghavan IFS (Rtd), Calicut Email:raghvan.s@nic.in	Chairman;
2.	Dr. B. Mohan Kumar Vice Chancellor, Arunachal Universities of Studies, Namsai, Arunachal Pradesh	Member;
3.	Dr. G. Srinivasan Regional Integrated Multi-hazard early warning System for Asia and Africa (RIMES) P. O. Box No.4, Klong Luang, Pathumthani – 12120 Bangkok, Thailand	Member;
4.	Dr. Rani Jha Director of Science and Technology Arunachal University of Studies, Namasai-792103	Member;
5.	Dr. A. K. Tripathy Principal Rajiv Gandhi Polytechnic, Itanagar (AP)	Member;
6.	Dr. Om Prakash Tripathi Associate Professor Department of Forestry North Eastern Regional Institute of Science & Technology, (NEIRST), Nirjuli (Arunachal Pradesh)	Member;
7.	Deputy Director (Environment) O/o PCCF & Principal Secretary (E&F) Government of Arunachal Pradesh, Itanagr	Member-Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Arunachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Arunachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
8. The SEAC, Arunachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
9. In order to avoid any conflict of interest, -
- (a) the Chairman and Members of the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) the Chairman and Members of the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh during their tenure; and
 - (c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.
10. Government of Arunachal Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.
11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Arunachal Pradesh and SEAC, Arunachal Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Arunachal Pradesh.

[F.No. J-11013-16/2008-IA-II(I)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.